

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम, बीसलपुर परियोजना, टोंक**

क्रमांक:-अ.अ./न.ख.1/लेखा/निलामी/2020-21/3925 दिनांक:- 17.02.2021


:: सार्वजनिक नीलामी सूचना सं० 01/2020-21 ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान के राज्यपाल की ओर से खण्ड कार्यालय परिसर बीसलपुर परियोजना टोंक में अनुपयोगी/अधिशेष वाहन की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 04.03.2021 को दोपहर 02.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी। नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता को अनुपयोगी/अधिशेष वाहन की विभाग द्वारा निर्धारित अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत बोली लगाने के समय से पूर्व (प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक) जमा करानी होगी तथा नीलामी हेतु बोली 2.00 बजे से प्रारम्भ की जावेगी निलामी की शर्त एवं अधिशेष/अनुपयोगी सामान के संदर्भ में अन्य जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस दिवस में देखी जा सकती है।

| क्र. सं. | सामान का विवरण              | अनु० राशि<br>लाखों में | धरोहर राशि<br>रु. में |
|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.       | वाहन सं. RJ 14-C-0482 Gippy | 30,000                 | 600/-                 |

**निलामी की शर्तें :**

1. उपरोक्त वाहनों की नीलामी जहां हैं, जैसे हैं, की स्थिति में की जायेगी। बनाये गये लोट में नीलामी समिति को परिवर्तन का अधिकार होगा।
2. बोलीदाता को जीएसटी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जावेगी तथा बोली में भाग भी नहीं ले सकेगा।
3. आरक्षित मूल्य की घोषणा बोली प्रारम्भ करने से पूर्व मौके पर नीलामी समिति द्वारा की जावेगी।
4. अधिकतम बोली लगाने वाले को बोली छोड़ने के तुरन्त बाद बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी आवश्यक होगी, अन्यथा धरोहर राशि जब्त करते हुए बोली पुनः शुरू की जावेगी।
5. धरोहर राशि नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जावेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि अधिशाषी अभियन्ता, नहर खण्ड प्रथम, बीसलपुर परियोजना, टोंक के नाम देय हो। उक्त धरोहर राशि का समायोजन 25 प्रतिशत जमा की जाने वाली राशि में कर लिया जावेगा।
6. बोली छोड़े जाने के 7 दिवस के अन्दर बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करवा कर स्वयं के खर्च पर माल उठाया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा जमा करायी गई 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. उक्त निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में कार्यवाही आगामी कार्य दिवस में की जावेगी।
8. बिना कारण बताये नीलामी को अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।
9. नीलामी की गई समस्त सामग्री पर उस समय देय बिक्रीकर/वैट/जीएसटी/ सरचार्ज का अलग से भुगतान का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता का होगा।

  
अधिशाषी अभियन्ता  
जल संसाधन, नहर खण्ड प्रथम  
बीसलपुर परियोजना  
टोंक

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम, बीसलपुर परियोजना, टोंक  
सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या 01 वर्ष 2020-21 कार्यो की विवरण सूची

- 1- कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम, बीसलपुर परियोजना, टोंक
- 2- नीलामी की कुल लागत राशि रु. 30000 (01 कार्य)
- 3- नीलामी का कार्य वाहनों की बिक्री से सम्बन्धित।
- 4- न्यूनतम नीलामी एवं अधिकतम कार्य वाले कार्य की लागत रु0 30000/-। वाहनों की नीलामी विक्रय तिथि 04.03.2021 को दोपहर 02.00 से 4.00 बजे तक।

नोट: नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट [www.dipronling.org.in](http://www.dipronling.org.in)

[www.waterresources.rajasthan.gov.in](http://www.waterresources.rajasthan.gov.in) एवं निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

| कार्य संख्या | UBN No.           |
|--------------|-------------------|
| 1            | WRD2021SSOP302032 |

अधिशाषी अभियन्ता  
जल संसाधन, नहर खण्ड प्रथम  
बीसलपुर परियोजना  
टोंक